

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2526

बुधवार, 15 मार्च, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्टार्टअप योजना के लिए निधियां

2526. श्रीमती तुसरत जहां:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्टार्टअप योजना के लिए निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले स्टार्टअप्स का ब्यौरा और कुल संख्या कितनी है;
- (ग) तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और पश्चिम बंगाल राज्य के संबंध में सहयोग प्राप्त करने वाले स्टार्टअप्स का ब्यौरा क्या है और योजना से प्राप्त लाभों का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) सरकार द्वारा देश में स्टार्टअप्स को और अधिक सहयोग के संबंध में किए जाने वाले प्रस्तावित उपाय क्या हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क) : स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, स्टार्टअप के व्यवसाय काल के विभिन्न चरणों में पूँजी प्रदान करने के लिए, सरकार स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष (एफएफएस) और स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) कार्यान्वित कर रही है। दोनों स्कीमें अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वित की जाती हैं।

स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष (एफएफएस) स्कीम को जून, 2016 में 10,000 करोड़ रुपए के कॉर्पस से अनुमोदित और स्थापित किया गया था और कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर योगदान 14वें और 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल तक परिव्याप्त है, ताकि भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को अत्यावश्यक बढ़ावा दिया जा सके और घरेलू पूँजी तक पहुंच प्रदान की जा सके। यह स्कीम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा संचालित की जाती है।

एफएसएस के तहत, स्कीम प्रत्यक्ष रूप से स्टार्टअप्स में निवेश नहीं करती, बल्कि सेबी में पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) जिन्हें सहायक निधियां कहा जाता है, को पूँजी प्रदान करती है जो आगे इक्विटी और इक्विटी संबद्ध साधनों के माध्यम से आगे बढ़ रहे भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश करती हैं। सिडबी को समुचित सहायक निधियों के चयन और प्रतिबद्ध पूँजी के संवितरण की निगरानी के माध्यम से इस निधि के प्रचालन का अधिदेश दिया गया है। एफएफएस के अंतर्गत सहायता प्रदान करने वाले एआईएफ को स्टार्टअप्स में एफएसएस के तहत प्रतिबद्ध राशि का कम से कम दो गुना निवेश करने की आवश्यकता होती है।

एफएफएस के तहत, पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2020, 2021 और 2022 के दौरान सिडबी द्वारा 4,857 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। विशेष रूप से पिछले तीन वर्षों

अर्थात् 2020, 2021 और 2022 के दौरान इस स्कीम के तहत एआईएफ को प्रतिबद्ध राशि का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	प्रतिबद्ध राशि (करोड़ रुपए में)
2020	1,254
2021	1,892
2022	1,711

स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को 945 करोड़ रुपए के कॉर्पस से वर्ष 2021-22 से आरंभ करते हुए चार वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है। इस स्कीम का उद्देश्य संकल्पना के साक्ष्य, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परिक्षण, बाजार परिवेश और वाणिज्यिकरण के लिए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

एसआईएसएफएस के तहत, स्कीम के प्रावधानों के अनुसार, सरकार ने विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) का गठन किया है, जो एसआईएसएफएस के समग्र निष्पादन एवं निगरानी के लिए जिम्मेदार है। यह ईएसी, स्कीम के तहत निधियों के आवंटन के लिए इन्क्यूबेटर्स का मूल्यांकन और चयन करती है।

एसआईएसएफएस के तहत, पिछले दो वर्षों में (एसआईएसएफएस 1 अप्रैल 2021 से लागू किया गया है) अर्थात् 2021 और 2022 के दौरान, ईएसी द्वारा इनक्यूबेटरों को 495.25 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए हैं। विशेष रूप से पिछले दो वर्षों में इस स्कीम के तहत इनक्यूबेटरों को अनुमोदित राशि का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	अनुमोदित राशि (करोड़ रुपए में)
2021	227.75
2022	267.50

(ख) : एफएफएस के तहत, स्कीम के प्रावधानों के अनुसार, एआईएफ स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं और सहायता प्राप्त एआईएफ को स्टार्टअप्स में एफएफएस के तहत सिडबी द्वारा प्रतिबद्ध राशि का कम से कम दो गुना निवेश करने की आवश्यकता होती है। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2020, 2021 और 2022 में स्टार्टअप की संख्या और निवेश की गई राशि निम्नानुसार है:

वर्ष	स्टार्टअप्स की संख्या	निवेश की गई राशि (करोड़ रुपए में)
2020	100	1,802
2021	152	3,403
2022	251	5,992

एसआईएसएफएस के अंतर्गत, स्कीम के प्रावधानों के अनुसार, चयनित इनक्यूबेटर स्कीम के दिशा-निर्देशों में उल्लिखित कतिपय मानदंडों के आधार पर स्टार्टअप्स का चयन करते हैं। चयनित स्टार्टअप्स की संख्या और पिछले दो वर्षों (एसआईएसएफएस 1 अप्रैल 2021 से लागू है) अर्थात् 2021 और 2022 में अनुमोदित राशि निम्नानुसार है:

वर्ष	स्टार्टअप्स की संख्या	अनुमोदित राशि (करोड़ रुपए में)
------	-----------------------	--------------------------------

2021	146	20.8
2022	569	99.44

(ग) : पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2020, 2021 और 2022 के दौरान एफएफएस के तहत स्टार्टअप्स की संख्या और निवेश की गई राशि का पश्चिम बंगाल राज्य सहित, राज्य-वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

पिछले दो वर्षों (एसआईएसएफएस 1 अप्रैल 2021 से लागू किया गया है) अर्थात् 2021 और 2022 के दौरान, एसआईएसएफएस के तहत चयनित स्टार्टअप्स की संख्या और इनक्यूबेटरों द्वारा अनुमोदित राशि का पश्चिम बंगाल सहित राज्य-वार विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

(घ) : स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास और वृद्धि के लिए लगातार विभिन्न प्रयास कर रही है।

प्रमुख स्कीमें नामतः स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए क्रृष्ण गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) स्टार्टअप्स के व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में उन्हें सहायता प्रदान करती हैं ताकि स्टार्टअप्स उस स्तर तक सक्षम बन सकेंगे जिससे वे एंजल निवेशकों अथवा उद्यम पूंजीपतियों से निवेश जुटाने अथवा वाणिज्यिक बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं से क्रृष्ण प्राप्त करने में सक्षम होंगे। सरकार, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार और नवप्रयोग समाह सहित प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम भी लागू करती है जो स्टार्टअप इकोसिस्टम के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भागीदारी तथा संलग्नता में भी सहायता करती है। देश में स्टार्टअप्स की सहायता के लिए सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत कार्यान्वित किए गए ऐसे कार्यक्रमों का व्यौरा अनुबंध-III पर दिया गया है।

दिनांक 15.03.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2526 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2020, 2021 और 2022 के दौरान एफएफएस के तहत स्टार्टअप्स की संख्या और निवेश की गई राशि का पश्चिम बंगाल राज्य सहित, राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	स्टार्टअप्स की संख्या	निवेशित राशि (करोड़ रूपए में)
1	कर्नाटक	152	3,775
2	दिल्ली	84	1,726
3	महाराष्ट्र	98	2,566
4	हरियाणा	43	994
5	तमिलनाडु	18	641
6	केरल	8	150
7	राजस्थान	8	119
8	तेलंगाना	11	226
9	गुजरात	14	347
10	बिहार	3	86
11	मध्य प्रदेश	12	156
12	उत्तर प्रदेश	16	265
13	आंध्र प्रदेश	1	16
14	अरुणाचल प्रदेश	1	1
15	असम	12	25
16	मणिपुर	7	7
17	चंडीगढ़	1	-
18	छत्तीसगढ़	1	4
19	मेघालय	3	1
20	ओडीशा	2	3
21	पुदुचेरी	1	1
22	पंजाब	-	12
23	त्रिपुरा	1	-
24	उत्तराखण्ड	-	-
25	पश्चिम बंगाल	6	75
	कुल	503	11,197

दिनांक 15.03.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2526 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले दो वर्षों (एसआईएसएफएस 1 अप्रैल 2021 से लागू किया गया है) अर्थात् 2021 और 2022 के दौरान, एसआईएसएफएस के तहत चयनित स्टार्टअप्स की संख्या और इनक्यूबेटरों द्वारा अनुमोदित राशि का पश्चिम बंगाल सहित राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	स्टार्टअप्स की संख्या	सीड फंड पोर्टल के अनुसार इनक्यूबेटरों द्वारा अनुमोदित राशि (करोड़ रूपए में)
1	आंध्र प्रदेश	7	0.78
2	अरुणाचल प्रदेश	1	0.2
3	অসম	10	0.95
4	बिहार	12	2.66
5	चंडीगढ़	4	0.6
6	छत्तीसगढ़	5	0.22
7	दिल्ली	38	7.46
8	गोवा	13	1.45
9	गुजरात	52	6.95
10	हरियाणा	32	4.65
11	हिमाचल प्रदेश	3	0.35
12	जम्मू और कश्मीर	1	0.10
13	झारखण्ड	4	1.05
14	कर्नाटक	132	26.14
15	केरल	26	4.47
16	मध्य प्रदेश	39	6.25
17	महाराष्ट्र	113	18.53
18	मणिपुर	2	0.25
19	मेघालय	1	0.2
20	नगालैंड	1	0.25
21	ओडिशा	13	1.61
22	पुदुचेरी	5	0.34
23	ਪੰਜਾਬ	4	0.42
24	राजस्थान	19	3.27
25	सिक्किम	2	0.2
26	तमिलनाडु	56	10.82
27	तेलंगाना	52	9.67
28	उत्तर प्रदेश	47	7.9
29	उत्तराखण्ड	6	0.7
30	पश्चिम बंगाल	15	1.83
कुल		715	120.24

दिनांक 15.03.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2526 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत कार्यान्वित कार्यक्रम

देश भर में स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और स्टार्टअप्स में निजी निवेश के लिए सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है:

- **स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत कार्यान्वित कार्यक्रम**: 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया के लिए एक कार्य योजना का अनावरण किया गया था। कार्य योजना में "सरलीकरण और हैंडहोल्डिंग", "वित्त पोषण सहायता और प्रोत्साहन" और "उद्योग-शिक्षाविद साझेदारी और इंक्यूबेशन" जैसे क्षेत्रों में फैले 19 कार्य मद शामिल हैं। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है।
- **स्टार्टअप्स कोष (स्टार्टअप्स कोष)**: स्टार्टअप्स कोष द्वारा आवासीय क्षेत्रों में निवेश के लिए एक वित्तीय संस्था है। यह कोष 10,000 रुपये के लिए एक वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और वेंचर डेविट फंड्स (वीडीएफ) द्वारा डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को दिए गए क्रृतियों के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत की है। सीजीएसएस का उद्देश्य पात्र उधारकर्ताओं जैसे डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को वित्तपोषित करने के लिए सदस्य संस्थानों (एमआई) द्वारा एक निर्दिष्ट सीमा तक दिए गए क्रृतियों के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करना है।
- **स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएस)**: सरकार ने सेवी पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधि के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और वेंचर डेविट फंड्स (वीडीएफ) द्वारा डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को दिए गए क्रृतियों के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत की है। सीजीएसएस का उद्देश्य पात्र उधारकर्ताओं जैसे डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को वित्तपोषित करने के लिए सदस्य संस्थानों (एमआई) द्वारा एक निर्दिष्ट सीमा तक दिए गए क्रृतियों के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करना है।
- **स्टार्टअप्स के लिए अधिकारी**: स्टार्टअप्स के लिए अधिकारी 2016 में 50 से अधिक स्टार्टअप्स के लिए नियुक्त किये गये थे।
- **अधिप्राप्ति**: अधिप्राप्ति स्टार्टअप्स के लिए अधिकारी की वित्तीय सुविधाएँ दी जाती हैं। अधिप्राप्ति स्टार्टअप्स के लिए अधिकारी की वित्तीय सुविधाएँ दी जाती हैं। इसके अलावा, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) स्टार्टअप रनवे विकसित किया गया है जो स्टार्टअप्स के लिए सरकार को सीधे उत्पादों और सेवाओं को बेचने के लिए एक समर्पित स्थान है।
- **स्टार्टअप्स के लिए अधिकारी**: स्टार्टअप्स के लिए अधिकारी की वित्तीय सुविधाएँ दी जाती हैं। स्टार्टअप्स के लिए अधिकारी की वित्तीय सुविधाएँ दी जाती हैं।

- स्व-स्टार्टअप्स: स्टार्टअप्स उत्तरांश, स्टार्टअप्स 80 50
- 3 स्टार्टअप्स: 1 अक्टूबर, 2016 स्टार्टअप्स स्टार्टअप्स-स्टार्टअप्स 10 3 3
- स्टार्टअप्स: स्टार्टअप्स स्टार्टअप्स स्टार्टअप्स स्टार्टअप्स 15 90
- स्टार्टअप : स्टार्टअप्स 19 अक्टूबर 2017 स्टार्टअप्स 90
- स्टार्टअप : स्टार्टअप्स 56 (2) (vii) (०) स्टार्टअप्स 56 (2) (vii) (०)
- स्टार्टअप : स्टार्टअप्स स्टार्टअप्स स्टार्टअप्स स्टार्टअप्स

- स्टार्टअप एवं स्टार्टअप्स के लिए विभिन्न वित्तीय समर्पणों का उल्लेख किया जाता है। इनमें से कुछ अधिक वित्तीय समर्पणों का विवरण निम्नानुसार है:
- स्टार्टअप के लिए वित्तीय समर्पण (एनएसए):** इसके लिए विभिन्न स्रोतों से वित्तीय समर्पण किया जाता है। यह समर्पणों का एक बड़ा भाग व्यक्तिगत वित्तीय समर्पण है, जिसमें व्यक्ति अपने व्यापारिक विचारों को प्रयोग करके वित्तीय समर्पण करता है। इसके अलावा, सरकारी और निवेशकों द्वारा वित्तीय समर्पण किया जाता है।
 - स्टार्टअप के लिए वित्तीय समर्पण (स्टार्टअप):** इसके लिए विभिन्न स्रोतों से वित्तीय समर्पण किया जाता है। यह समर्पणों का एक बड़ा भाग व्यक्तिगत वित्तीय समर्पण है, जिसमें व्यक्ति अपने व्यापारिक विचारों को प्रयोग करके वित्तीय समर्पण करता है। इसके अलावा, सरकारी और निवेशकों द्वारा वित्तीय समर्पण किया जाता है।
 - स्टार्टअप के लिए वित्तीय समर्पण (एनएसए):** इसके लिए विभिन्न स्रोतों से वित्तीय समर्पण किया जाता है। यह समर्पणों का एक बड़ा भाग व्यक्तिगत वित्तीय समर्पण है, जिसमें व्यक्ति अपने व्यापारिक विचारों को प्रयोग करके वित्तीय समर्पण करता है। इसके अलावा, सरकारी और निवेशकों द्वारा वित्तीय समर्पण किया जाता है।
 - स्टार्टअप के लिए वित्तीय समर्पण (एसआरएफ):** इसके लिए विभिन्न स्रोतों से वित्तीय समर्पण किया जाता है। यह समर्पणों का एक बड़ा भाग व्यक्तिगत वित्तीय समर्पण है, जिसमें व्यक्ति अपने व्यापारिक विचारों को प्रयोग करके वित्तीय समर्पण करता है। इसके अलावा, सरकारी और निवेशकों द्वारा वित्तीय समर्पण किया जाता है।

□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□□ □□ □□

* * * * *